

# नव भारत



फाइल नहीं, जमीन पर दिखे काम : शिवराज



सनातन को मिटाने की राजनीति पर फिर बवाल



विशेषज्ञों को एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान



ईस्ट बंगाल ने जीता पहला आईएसएल खिताब

## टिवशा मौत की होगी सीबीआई जांच

समर्थ ने किया जबलपुर में सरेंडर, पुलिस ने घोषित किया था 30 हजार का इनाम

- दिल्ली एम्स की टीम करेगी दोबारा पोस्टमार्टम
- गिरिबाला सिंह की जमानत खारिज करने लगाई याचिका

नवभारत संवाददाता भोपाल, 22 मई. भोपाल के चर्चित टिवशा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समर्थ सिंह (टिवशा के पति) को मप्र हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। समर्थ सिंह की ओर से अर्जी वापस लिए जाने पर जस्टिस अवनंद कुमार सिंह की वेकेशन बेंच ने उसे खारिज कर दिया। वहीं टिवशा शर्मा की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।

बता दें कि दो दिन पहले 20 मई को जब टिवशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के



साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आशवासन दिया था। उसके बाद शुक्रवार को दोपहर गृह मंत्रालय के सचिव ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जिससे इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

यह मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण अब सीबीआई की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिए हैं। वहीं टिवशा शर्मा की डेडबॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम

किए जाने के आदेश भी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर टिवशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार

### देर रात तक गिरफ्तारी पर संस्पर्ष

जबलपुर में शुक्रवार की शाम को समर्थ ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। जबकि समर्थ को जबलपुर में सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी या ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था। देर शाम से चर्चा चल रही थी कि पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है लेकिन किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। सूत्रों के अनुसार समर्थ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे शनिवार सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद भोपाल पुलिस के सुपुर्द किया जा सकता है।

### अपराध दर्ज होने वाले दिन मिल गयी अग्रिम जमानत

जबलपुर. बहुचर्चित टिवशा शर्मा की दहेज हत्या के अपराध में आरोपी सास तथा पूर्व भोपाल जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। गिरिबाला सिंह की तरफ से 15 मई को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी। न्यायालय ने उसी दिन उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान कर दिया। अग्रिम जमानत का लाभ मिलने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर... > शेष पेज 12 पर

को जस्टिस अवनंद कुमार सिंह को कोर्ट में होनी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया। समर्थ के वकील जयदीप कौरव ने कहा कि जो

## भारत में निवेश को दोगुना करेगा साइप्रस : प्रधानमंत्री मोदी

भारत-साइप्रस सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारी में बदले

नई दिल्ली, 22 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत और भविष्य की दृष्टि पर आधारित बताते हुए कहा है कि दोनों देशों ने इन्हें नई गति देने के लिए अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर भी बल दिया है।

श्री मोदी ने भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ शुक्रवार को यह द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में, साइप्रस से भारत में निवेश बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि



दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने और भारत - यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका लाभ उठाते हुए, हम अगले पाँच

वर्षों में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस संकल्प को साकार करने के लिए, आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत और भविष्य की दृष्टि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास, हमारी साझेदारी का आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-साइप्रस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों की शीघ्र समाप्ति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत हैं कि बढ़ती हुई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार महत्वपूर्ण है।

### एक नजर में



### बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण

नई दिल्ली. छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रक्षेपण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। इससे प्रणाली की विश्वसनीयता और सटीकता का पता चला। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। यह मिसाइल एक हजार किलोग्राम पारंपरिक या परमाणु पेलोड के साथ 700 किलोमीटर से 1,200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है।

### गुस्ताखी माफ



### बड़ा सवाल

माता-पिता आईएसए अधिकारी तो आरक्षण क्यों?

## आरक्षण व्यवस्था में सुधार की जरूरत : सुको

नई दिल्ली, 22 मई. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और क्रीमी लेयर व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि माता-पिता दोनों उच्च सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, जैसे आईएसए अधिकारी, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए।

जस्टिस नागराथा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के

के अनुसार उम्मीदवार के माता-पिता दोनों राज्य सरकार में कर्मचारी हैं और परिवार की वार्षिक आय करीब 19.48 लाख रुपए आंकी गई। जबकि मौजूदा नियमों के अनुसार ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर को आय सीमा 8 लाख रुपए सालाना तय है। इस सीमा से अधिक आय वाले परिवारों के बच्चों को सामान्यतः ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका हो, तब भी यदि उसी परिवार को लगातार आरक्षण का लाभ मिलता रहे, तो इससे आरक्षण व्यवस्था का

मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा, आर्थिक मजबूती और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है और ऐसे में वास्तविक जरूरतमंदों तक अवसर पहुंचना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक व्यवस्था है, लेकिन इसका लाभ अनंत समय तक उन्हीं संपन्न परिवारों को मिलता रहे, यह संतुलित व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद देशभर में क्रीमी लेयर और आरक्षण नीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है।


## बाघ के हमले से 4 महिलाओं की मौत

गुंजेवाही गांव में जंगल में घात लगाए बाघ ने किया हमला

चंद्रपुर में बाघ ने चार महिलाओं को मार डाला

चंद्रपुर, 22 मई. गुंजेवाही गांव के पास जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गई चार महिलाओं की बाघ के हमले में दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह घटना शुक्रवार सुबह हुई, जब महिलाएं जंगल में अपने दैनिक काम में व्यस्त थीं। अचानक झाड़ियों में छिपा बाघ उन पर हमला करने के लिए बाहर आया।

जंगल में चीख-पुकार मच गई, लेकिन जैसे ही लोग मदद के लिए पहुंचे, तब तक बाघ ने चारों



महिलाओं को बुरी तरह घायल कर दिया था और उनकी जान ले ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चंद्रपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी और वीभत्स घटना है, जहां एक ही बार में चार लोगों की बाघ के हमले में मौत हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बाघ और तेंदुए लगातार गांवों के नजदीक आते जा रहे हैं और वन विभाग इस मामले में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। बाघ-संघर्ष में वृद्धि ने स्थानीय लोगों को भय और असुरक्षा में

## केंद्र को आरबीआई से मिलेगा ऐतिहासिक 2.86 लाख करोड़

नई दिल्ली, 22 मई. भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार को लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक डिविडेंड देने की घोषणा की, जिससे सरकार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद

## दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट के नोटिस पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली, 22 मई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलवान विनेश फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस पर सख्त आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जाहिर की है और उसे कड़ी फटकार लगायी है। अदालत ने डब्ल्यूएफआई की पहलवान विनेश फोगाट को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस पर सख्त आपत्ति जतायी है जिसमें महासंघ ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में वजन बढ़ने के कारण उनके अयोग्य होने की घटना को राष्ट्रीय शर्म करार दिया था।

## अपना केवाईसी अपडेट रखें ताकि आप बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें

मिलेगी. आरबीआई की बैलेंस शीट का साइज वित्त वर्ष 26 तक सालाना आधार पर 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह निर्णय देश की आर्थिक राजधानी में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में गवर्नर

## संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में लिया गया

बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें भविष्य के जोखिमों का भी विश्लेषण किया गया। इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिजर्व बैंक के वार्षिक खातों पर विचार-विमर्श किया गया।



## अपना केवाईसी अपडेट रखें

ताकि आप बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें

**यदि आपके केवाईसी संबंधी विवरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है,**  
तो आप अपने पुनःकेवाईसी के लिए एक स्व-घोषणा पत्र जमा करें - जिसे आप पत्र/ऑनलाइन बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/एटीएम/बैंक में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर/ईमेल या कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।

**यदि आपके केवाईसी संबंधी विवरण बदल गए हैं,**  
तो अपडेटेड विवरणों वाले किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रदान करें: आधार/मतदाता पहचान पत्र/NREGA जॉब कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र।

**आप अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर भी अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।**

अधिक जानकारी के लिए,  
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/KYC> पर जाएं  
आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर:  
99990 41935/99309 91935

जनहित में जारी  
**भारतीय रिजर्व बैंक**  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)